



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2987]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2019/भाद्र 21, 1941

No. 2987]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2019/BHADRA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

(आय-कर)

का.आ. 3264(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम ई-निर्धारण स्कीम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—(1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (i) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;
- (ii) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ;
- (iii) "निर्धारण" से अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण अभिप्रेत है ;
- (iv) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 288 में यथापरिभाषित है ;

- (v) "स्वचालित आबंटन प्रणाली" से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने की दृष्टि से, उपयुक्त प्रौद्योगिकीय टूल्स का उपयोग करते हुए, जिसके अंतर्गत कृत्रिम प्रबुद्धता और मशीनी लर्निंग है, का उपयोग करके मामलों का यदृच्छया आबंटन करने के लिए कोई कलन विधि अभिप्रेत है ;
- (vi) "स्वचालित जांच टूल" से स्व:विवेक के परिमाण को कम करने की दृष्टि से, उपयुक्त प्रौद्योगिकीय टूल्स का उपयोग करते हुए, जिसके अंतर्गत कृत्रिम प्रबुद्धता और मशीनी लर्निंग है, का उपयोग करके प्रारूप आदेशों की जांच के लिए मानकीकृत कलन विधि अभिप्रेत है ;
- (vii) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (viii) "कंप्यूटर साधन" का वही अर्थ है, जो उनका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है ;
- (ix) "कंप्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ है, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है ;
- (x) "निर्धारिती के कंप्यूटर संसाधन" में इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, आय-कर विभाग के अभिहित पोर्टल में निर्धारिती का रजिस्ट्रीकृत खाता, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर से संबद्ध मोबाइल ऐप या उसके ई-मेल सेवा प्रदाता के पास निर्धारिती का ई-मेल खाता सम्मिलित होगा ;
- (xi) "अंकीय चिह्नक" से किसी इलैक्ट्रानिक विधि द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसरण में किसी प्रक्रिया द्वारा किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है ;
- (xii) "अभिहित पोर्टल" से राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र के भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक द्वारा उस रूप में अभिहित वेब पोर्टल अभिप्रेत है ;
- (xiii) "ई-निर्धारण" से अभिहित पोर्टल पर निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से ई-प्रसंस्करण प्रसुविधा में इलैक्ट्रानिक रूप से संचालित निर्धारण कार्यवाहियां अभिप्रेत है ;
- (xiv) "इलैक्ट्रानिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ;
- (xv) "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (नक) में उसका है;
- (xvi) "ई-मेल" या "इलैक्ट्रानिकी मेल" और "इलैक्ट्रानिक मेल संदेश" से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति पर सृजित या पारेषित या प्राप्त कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पाठ, इमेज, श्रव्य, दृश्य और कोई अन्य इलैक्ट्रानिकी अभिलेख में संलग्नक सम्मिलित हैं, जिनका संदेश के साथ पारेषण किया जा सकता है ;
- (xvii) "द्वुतान्वेषण फलन" और "द्वुतान्वेषण परिणाम" का वही अर्थ होगा, जो उनका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है ;
- (xviii) "मोबाइल ऐप" से आय-कर विभाग का मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित अनुप्रयोग साफ्टवेयर अभिप्रेत है, जिसे निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर में डाउनलोड और प्रतिष्ठापित किया जा सकता है ;
- (xix) "प्रवर्तक" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यक) में है ;

- (xx) “वास्तविक समय सचेत” से निर्धारिती को उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर से संक्षिप्त संदेश सेवा के माध्यम से या उसकी मोबाइल ऐप पर किसी अपडेट के माध्यम से या उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर किसी ई-मेल के माध्यम से भेजी गई कोई संसूचना अभिप्रेत है जिससे उसे किसी इलैक्ट्रानिकी संसूचना के परिदान के संबंध में सचेत किया जा सके।
- (xxi) निर्धारिती का “रजिस्ट्रीकृत खाता” से अभिहित पोर्टल पर निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिकी फाइलिंग खाता अभिप्रेत है ;
- (xxii) “रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता” से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर निर्धारिती को किसी इलैक्ट्रानिक संसूचना का परिदान या पारेषण किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं –
- (क) अभिहित पोर्टल पर प्रेषिती का रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिकी फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
- (ख) प्रेषिती द्वारा अंतिम आय-कर विवरणी में प्रस्तुत उपलब्ध ई-मेल पता ; या
- (ग) प्रेषित से संबंधित स्थायी लेखा संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
- (घ) प्रेषिती के ऐसा व्यष्टिक होने की दशा में, जिसके पास आधार नंबर है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता ; या
- (ङ) प्रेषिती के किसी कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी का ई-मेल पता ; या
- (च) प्रेषिती द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता।
- (xxiii) निर्धारिती का “रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर” से निर्धारिती का या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिकी फाइलिंग खाते में उपयोक्ता प्रोफाइल में आने वाला मोबाइल नंबर अभिप्रेत है ;
- (xxiv) “दृश्य टेलीफोनी” से लोगों के बीच वास्तविक समय में संचार के लिए विभिन्न अवस्थानों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा श्रव्य-दृश्य संकेतों की प्राप्ति और पारेषण के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान अभिप्रेत है।
- (2) सभी शब्द और पद, जो इसमें अनुप्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।

3. स्कीम का विस्तार—इस स्कीम के अधीन निर्धारण ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामले या मामलों के वर्ग के संबंध में किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. ई-निर्धारण केन्द्र—(1) इस स्कीम के उद्देश्यों के लिए, बोर्ड निम्नलिखित को स्थापित कर सकेगा--

- (i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र केन्द्रीयकृत रीति में ई-निर्धारण की कार्यवाहियों के प्रचालन को सुकर बनाएगी, जिसमें इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार निर्धारण को करने अधिकारिता निहित होगी;
- (ii) क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र प्रधान मुख्य आयुक्त के काडर नियंत्रण क्षेत्र में ई-निर्धारण की कार्यवाहियों के प्रचालन को सुकर बनाएगी जो वह आवश्यक समझे जिसमें इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार निर्धारण को करने अधिकारिता निहित होगी;
- (iii) निर्धारण इकाई ई-निर्धारण के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए जो वह आवश्यक समझे, निर्धारण करने के कृत्य का निष्पादन करेगी, जिसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन दायित्व (जिसके अंतर्गत प्रतिदाय है) का अवधारण करने के लिए बिन्दुओं या तात्विक सामग्री की पहचान, बिन्दुओं या इस प्रकार पहचाने गए मुद्दों पर सूचना या

स्पष्टीकरण की ईप्सा करना, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण और ऐसे अन्य कृत्य, जो निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों, का निष्पादन करेगी।

- (iv) सत्यापन यूनिट, ई-निर्धारण के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए जो वह आवश्यक समझे सत्यापन संबंधी कृत्यों का निर्वहन करेगी, जिसके अंतर्गत जांच, प्रति-सत्यापन, लेखा बहियों की परीक्षा, साक्षियों की परीक्षा और कथनों का लेखबद्ध किया जाना तथा ऐसे अन्य कृत्य सम्मिलित होंगे, जो सत्यापन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों।
- (v) तकनीकी यूनिट, ई-निर्धारण के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए जो वह आवश्यक समझे, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी कृत्यों का निर्वहन करेगी, जिसके अंतर्गत लेखांकन, न्यायालयीय, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन, अंतरण कीमत निर्धारण, डाटा एनालिटिक्स, प्रबंध या ऐसे किसी अन्य तकनीकी विषय के संबंध में सहायता या सलाह सम्मिलित है, जो इस स्कीम के अधीन किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के लिए अपेक्षित हो।
- (vi) पुनर्विलोकन यूनिट, ई-निर्धारण के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए जो वह आवश्यक समझे, प्रारूप निर्धारण आदेश के पुनर्विलोकन संबंधी कृत्य का निर्वहन करेगी, जिसके अंतर्गत यह जांच करना भी है कि क्या सुसंगत और सारवान साक्ष्य को अभिलेख पर लाया गया है अथवा नहीं, क्या तथ्य और विधि के सुसंगत बिंदुओं को सम्यक् रूप से प्रारूप आदेश में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं, क्या ऐसे मुद्दों पर, जिन पर परिवर्धन या नामजूरी दी जानी चाहिए, प्रारूप आदेश में विचार-विमर्श किया गया है अथवा नहीं, क्या लागू न्यायिक निर्णयों पर विचार किया गया है और क्या उन्हें प्रारूप आदेश तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है अथवा नहीं, प्रस्तावित उपांतरणों, यदि कोई हों, के गणितीय रूप से सही होने के लिए जांच और ऐसे अन्य कृत्य भी सम्मिलित हैं, जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों,

और उसकी संबंधित अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) निर्धारण ईकाई, पुनर्विलोकन ईकाई, सत्यापन ईकाई या तकनीकी ईकाई या किसी अन्य व्यक्ति के बीच सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्यों या किन्हीं अन्य व्यौरों के संबंध में सभी संचार, जैसा कि इस स्कीम के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझा जाए, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र के माध्यम से होगा।

(3) पैरा (1) के उप-पैरा (iii), (iv), (v) और (iv) में निर्दिष्ट इकाईयों में निम्नलिखित प्राधिकारी सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

- (क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक;
- (ख) यथास्थिति, उपायुक्त या उप निदेशक या सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक या आय-कर अधिकारी;
- (ग) जिनकी ऐसे अन्य आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यकारियों और सलाहकार द्वारा सहायता की जाएगी, जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए।

5. ई-निर्धारण के लिए प्रक्रिया :

(1) इस स्कीम के अधीन, निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:--

- (i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या विहित प्राधिकारी, धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती पर एक सूचना की तामील करेगा, जिसमें ऐसे मुद्दों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके आधार पर उसके मामले का निर्धारण के लिए चयन किया गया है;
- (ii) निर्धारिती, उपखंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा;

- (iii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र की किसी विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को इस स्कीम के अधीन ई-निर्धारण के प्रयोजन के लिए चयनित मामले को समनुदेशित करेगा;
- (iv) जहां कोई मामला निर्धारण यूनिट को समनुदेशित किया जाता है, वहां वह राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से निम्नलिखित के लिए अनुरोध कर सकेगा,--
- (क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से आगे ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे ;
- (ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करने ;
- (ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता की ईप्सा करने ;
- (v) जहां निर्धारण यूनिट द्वारा निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से आगे ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से आगे ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य की अध्यपेक्षा करते हुए उसे उपयुक्त सूचना या अध्यपेक्षा जारी करेगी ;
- (vi) जहां निर्धारण यूनिट द्वारा सत्यापन यूनिट से कतिपय जांच या सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा ऐसे अनुरोध को एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र की किसी सत्यापन यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;
- (vii) जहां निर्धारण यूनिट द्वारा तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता की ईप्सा करते हुए कोई अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा ऐसे अनुरोध को एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र की किसी तकनीकी यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;
- (viii) निर्धारण यूनिट, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, निर्धारिती की विवरणी में दर्शित आय को स्वीकार करते हुए या निर्धारिती की विवरणी में दर्शित आय को उपांतरित करते हुए निर्धारण के आदेश के एक लिखित प्रारूप को तैयार करेगी और ऐसे प्रस्तावित प्रारूप आदेश के राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगी;
- (ix) निर्धारण यूनिट, प्रस्तावित निर्धारण आदेश का प्रारूप तैयार करते समय, उसमें संस्थित की जाने वाली शास्तिक कार्यवाहियों के ब्यौरे भी, यदि कोई हो, उपलब्ध कराएगी;
- (x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश की परीक्षा करेगी, जिसके अंतर्गत स्वचालित परीक्षा उपकरण के माध्यम से की गई परीक्षा भी है, तदुपरांत वह निम्नलिखित के संबंध में विनिश्चय कर सकेगी,--
- (क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देने और ऐसे आदेश और संस्थित की जाने वाली शास्तिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, की सूचना, मांग सूचना सहित, की तामील करने और उसमें ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे शोध्य प्रतिदाय की किसी रकम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ; या
- (ख) कोई उपांतरण प्रस्तावित किए जाने की दशा में, निर्धारिती को इस बात के लिए कारण बताओ सूचना की तामील करके एक अवसर उपलब्ध कराने कि प्रस्तावित प्रारूप आदेश के अनुसार निर्धारण प्रक्रिया को क्यों न पूरा कर लिया जाए ; या

- (ग) प्रारूप आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र की किसी पुनर्विलोकन यूनिट को प्रारूप आदेश समनुदेशित करने ;
- (xi) पुनर्विलोकन यूनिट, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी और तदुपरांत वह निम्नलिखित के संबंध में विनिश्चय कर सकेगी,--
- (क) प्रारूप निर्धारण आदेश के संबंध में सहमति देने और ऐसी सहमति के संबंध में एन-ईएसी को संसूचित करने ; या
- (ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में ऐसे उपांतरणों का सुझाव देने, जिन्हें वह उचित समझे और वह एन-ईएसी को इस संबंध में अपने सुझाव भेज सकेगी;
- (xii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट से ऐसी सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, पैरा (x) के, यथास्थिति, उप-पैरा (क) या उप-पैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ;
- (xiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट से उपांतरणों हेतु सुझाव प्राप्त करने के पश्चात्, उन्हें निर्धारण यूनिट को संसूचित करेगी;
- (xiv) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाव दिए गए उपांतरणों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अग्रेषित करेगी;
- (xv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात् पैरा (x) के, यथास्थिति, उप-पैरा (क) या उप-पैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी;
- (xvi) निर्धारिती, उस दशा में, जहां उसे पैरा (x) के उप-पैरा (ख) के अधीन कारण बताओ सूचना की तामील की गई है, अपने प्रत्युत्तर को सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर या उससे पूर्व राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को प्रस्तुत करेगा;
- (xvii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,--
- (क) उस दशा में, जहां कारण बताओ सूचना को कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, वहां पैरा (x) के उप-पैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप प्रदान करेगी ; या
- (ख) किसी अन्य दशा में निर्धारिती से प्राप्त प्रत्युत्तर को निर्धारण यूनिट को अग्रेषित करेगी ;
- (xviii) निर्धारण यूनिट, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अग्रेषित करेगी;
- (xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने के पश्चात्,--
- (क) उस दशा में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश के प्रतिनिर्देश से निर्धारिती के हित के प्रतिकूल कोई उपांतरण प्रस्तावित नहीं है, वहां पैरा (x) के उप-पैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप प्रदान करेगी ; या
- (ख) उस दशा में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश के प्रतिनिर्देश से निर्धारिती के हित के प्रतिकूल कोई उपांतरण प्रस्तावित किया जाता है, वहां पैरा (x) के उप-पैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारिती को एक अवसर प्रदान करेगी;
- (ग) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के संबंध में पैरा (xvi), पैरा (xvii) पैरा (xviii) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगी;

(xx) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारण के पूर्ण होने के पश्चात् मामले के सभी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अंतरण ऐसे मामलों के ऊपर क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को निम्नलिखित के लिए करेगा:-

- (क) शास्ति का अधिरोपण करने के लिए ;
- (ख) मांग की वसूली और संग्रहण हेतु ;
- (ग) गलतियों की परिशुद्धि हेतु ;
- (घ) अपील की आदेशों को प्रभावी करने हेतु ;
- (ङ) यथास्थिति कमिश्नर (अपील), अपील की अधिकरण या न्यायालयों के समक्ष प्रतिप्रेषण रिपोर्ट की प्रस्तुति, या प्रस्तुत किए जाने वाली अन्य कोई रिपोर्ट या किए जाने वाले किसी अभ्यावेदन या पेश किए जाने वाले किसी अभिलेख के लिए ;
- (च) न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करने और अभियोजन संस्थित करने के लिए संस्तुति प्राप्त करने के प्रस्ताव हेतु ।

(xxi) पैरा (xx) में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, निर्धारण के किसी प्रक्रम पर यदि आवश्यक समझे तो ऐसे मामले के ऊपर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामले का अंतरण कर सकेगा ।

6. अननुपालन के लिए शास्ति प्रक्रिया- (1) कोई यूनिट, निर्धारण प्रक्रियाओं के अनुक्रम में, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस स्कीम के अधीन जारी किसी सूचना, निदेश या आदेश का अननुपालन किए जाने पर यदि यह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो यथास्थिति ऐसे अन्य किसी व्यक्ति या निर्धारिती के विरुद्ध अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन किसी शास्ति प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए सिफारिश राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेज सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, ऐसी सिफारिश की प्राप्ति पर यथास्थिति निर्धारिती या अन्य किसी व्यक्ति पर इस बात की अपेक्षा करने वाली कारण बताओ नोटिस तामील करवाएगी कि उस पर अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन शास्ति क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए ।

(3) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर को, यदि कोई हो, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा उस संबंधित यूनिट को भेजा जाएगा जिसने शास्ति के लिए सिफारिश की है ।

(4) उक्त यूनिट, यथास्थिति निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सौंपे गए प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए-

- (क) शास्ति का प्रारूप आदेश तैयार करेगी और ऐसे प्रारूप की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी; या
- (ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को सूचित करते हुए कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् शास्ति को छोड़ देगी ।

(5) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र उक्त प्रारूप आदेश के अनुसार शास्ति उद्घोषित करेगी और उसकी एक प्रति यथास्थिति निर्धारिती या अन्य किसी व्यक्ति पर तामील करवाएगी ।

7. अपील प्रक्रिया- इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा किए गए किसी निर्धारण के विरुद्ध अपील क्षेत्रीय अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी के ऊपर क्षेत्राधिकार रखने वाले कमिश्नर (अपील) के समक्ष होगी और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र से किसी संसूचना में कमिश्नर (अपील) को किये गये किसी निर्देश से ऐसे क्षेत्राधिकार वाला कमिश्नर (अपील) अभिप्रेत होगा ।

8. संसूचना का आदान-प्रदान अनन्य रूप से इलैक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा होना - इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचनाओं का आदान-प्रदान अनन्य रूप से इलैक्ट्रॉनिक ढंग से किया जाएगा ; और
- (ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, प्रादेशिक ई-निर्धारण केंद्रों और विभिन्न यूनिटों के बीच सभी आंतरिक संसूचनाओं का आदान-प्रदान अनन्य रूप से इलैक्ट्रॉनिक ढंग से किया जाएगा।

9. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन- इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, प्रवर्तक (प्रारंभकर्ता) के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उसके डिजिटल हस्ताक्षर को अंकित करते हुए अधिप्रमाणित किया जाएगा:

परंतु उस स्थिति में जहां प्रवर्तक (प्रारंभकर्ता) जो निर्धारिती या अन्य कोई व्यक्ति है, ऐसा अधिप्रमाणन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा भी किया जा सकेगा।

10. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का परिदान-(1) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या अन्य कोई इलैक्ट्रानिक संसूचना का, पाने वाले को जो निर्धारिती है, वास्तविक काल सतर्कता के पालन द्वारा निम्नलिखित माध्यम से परिदान किया जाएगा –

(क) उसकी अधिप्रमाणित प्रति निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत खाते (एकाउंट) में रख कर; या

(ख) उसकी अधिप्रमाणित प्रति निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर भेज कर; या

(ग) निर्धारिती के मोबाइल एप पर उसकी अधिप्रमाणित प्रति अपलोड करके।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या अन्य कोई इलैक्ट्रानिक संसूचना, उसकी अधिप्रमाणित प्रति को पाने वाले को, जो कोई अन्य व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर वास्तविक काल सतर्कता के पालन द्वारा भेजने के माध्यम से परिदान की जाएगी।

(3) निर्धारिती इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक संसूचना के प्रति अपना उत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत खाता (एकाउंट) के माध्यम से फाइल करेगा, और उत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर जैसे ही राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा सृजित द्रुतान्वेषण परिणाम से अंतर्वलित अभिस्वीकृति भेजी जाती है, उत्तर को अधिप्रमाणित समझा जाएगा।

(4) इलैक्ट्रानिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

11. केन्द्रों या यूनितों में व्यक्तिगत रूप से उपसंजात न होना - (1) कोई व्यक्ति इस स्कीम के अधीन किसी प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या प्रादेशिक ई-निर्धारण केंद्र या इस स्कीम के अधीन स्थापित किसी यूनित में आयकर प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात होने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

(2) उस स्थिति में जहां प्रारूप निर्धारण आदेश में उपांतरण प्रस्तावित है, और निर्धारिती को इस बात की अपेक्षा करने वाली कारण बताओ नोटिस तामील करने के द्वारा यह अवसर प्रदान किया गया है कि ऐसे प्रारूप आदेश के अनुसार निर्धारण क्यों नहीं पूरा होना चाहिए, यथास्थिति निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हकदार होगा जिससे इस स्कीम के अधीन किसी यूनित में आयकर प्राधिकारी के समक्ष मौखिक निवेदन कर सके या वह अपना मामला प्रस्तुत कर सके, और ऐसी सुनवाई अनन्य रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिसके अंतर्गत किसी दूरसंचार उपयोजन साफ्टवेयर का प्रयोग भी है, जो वीडियो टेलीफोनी को समर्थित करता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी।

(3) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के विवरण की परीक्षा या अभिलेखन (धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण के दौरान अभिलिखित विवरण से भिन्न) इस स्कीम के अधीन सृजित किसी इकाई के आय-कर प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनन्य रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग जिसके अंतर्गत किसी ऐसे टेलीकमन्यूकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर का उपयोगी भी है, जो वीडियो टेलीफोनी की सहायता से होता है, किया जाएगा।

(4) बोर्ड, ऐसे स्थानों पर, जो आवश्यक हों, टेलीकमन्यूकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर, जो वीडियो टेलीफोनी का सहायक होता है, सहित वीडियो कांफ्रेंसिंग की उपयुक्त सुविधा स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या उपपैरा (2) या उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति केवल इस आधार पर कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति तक वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त नहीं थी, इस स्कीम के फायदे से इंकार नहीं करेगा।

12. रूप विधान, पद्धति, प्रक्रिया और आदेशिका विनिर्दिष्ट करने की शक्ति

(1) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महा निदेशक निम्नलिखित के संबंध में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र और प्रादेशिक ई निर्धारण केन्द्रों और इस स्कीम के अधीन स्थापित इकाईयों के प्रभावी कार्यकरण के लिए मानक प्रक्रिया और आदेशिका, स्वचालित और यंत्रित परिवेश में जिसके अंतर्गत रूप विधान, पद्धति, प्रक्रिया और आदेशिका विनिर्दिष्ट करना भी है, विनिर्दिष्ट करेगा :-

- (i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील ;
- (ii) नोटिस या किसी अन्य संसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्ति से किसी सूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्ति से किसी सूचना या दस्तावेज की प्राप्ति ;
- (iii) व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर की पावति जारी करना ;
- (iv) लाग-इन-अकाउंट सुविधा, निर्धारण की ट्रेकिंग प्रास्थिति, सुसंगत ब्यौरों का प्रदर्शन और डाउनलोड सुविधि सहित "ई-प्रोसिडिंग" का उपबंध ;
- (v) निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण सहित सूचना और प्रत्युत्तरों का निर्धारण, अधिप्रमाणन और सत्यापन;
- (vi) केन्द्रीकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुनः प्राप्ति;
- (vii) संबंधित केन्द्रों और इकाईयों में साधारण प्रशासन और शिकायत प्रतितोष तंत्र ।

[अधिसूचना सं. 61/2019/फा.सं.370149/154/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th September, 2019

(INCOME-TAX)

S.O. 3264(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 143 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This Scheme may be called the E-assessment Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions .— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

- (i) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (ii) "addressee" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (iii) "assessment" means assessment of total income or loss of the assessee under sub-section (3) of section 143 of the Act;
- (iv) "authorised representative" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act;
- (v) "automated allocation system" means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to optimise the use of resources;

- (vi) “automated examination tool” means an algorithm for standardised examination of draft orders, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to reduce the scope of discretion;
- (vii) “Board” means Central Board of Direct Taxes constituted under the Central Board of Revenues Act, 1963 (54 of 1963);
- (viii) “computer resource” shall have the same meaning as assigned to them in clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (ix) “computer system” shall have the same meaning as assigned to them in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (x) “computer resource of assessee” shall include assessee's registered account in designated portal of the Income-tax Department, the Mobile App linked to the registered mobile number of the assessee, or the email account of the assessee with his email service provider;
- (xi) “digital signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xii) “designated portal” means the web portal designated as such by the Principal Chief Commissioner or Principal Director General, in charge of the National e-assessment Centre;
- (xiii) “e-assessment” means the assessment proceedings conducted electronically in 'e-Proceeding' facility through assessee's registered account in designated portal;
- (xiv) “electronic record” shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xv) “electronic signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (ta) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xvi) “email” or “electronic mail” and “electronic mail message” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message.;
- (xvii) “hash function” and “hash result” shall have the same meaning as assigned to them in the *Explanation* to sub-section (2) of section 3 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xviii) “Mobile app” shall mean the application software of the Income-tax Department developed for mobile devices which is downloaded and installed on the registered mobile number of the assessee;
- (xix) “originator” shall have the same meaning as assigned to it in clause (za) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xx) “real time alert” means any communication sent to the assessee, by way of Short Messaging Service on his registered mobile number, or by way of update on his Mobile App, or by way of an email at his registered email address, so as to alert him regarding delivery of an electronic communication;
- (xxi) “registered account” of the assessee means the electronic filing account registered by the assessee in designated portal;
- (xxii) “registered e-mail address” means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including-
- (a) the email address available in the electronic filing account of the addressee registered in designated portal; or
 - (b) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or
 - (c) the e-mail address available in the Permanent Account Number database relating to the addressee; or
 - (d) in the case of addressee being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of addressee available in the database of Unique Identification Authority of India ;or
 - (e) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of Ministry of Corporate Affairs; or
 - (f) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority.

(xxiii) “registered mobile number” of the assessee means the mobile number of the assessee, or his authorised representative, appearing in the user profile of the electronic filing account registered by the assessee in designated portal;

(xxiv) “video telephony” means the technological solutions for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations, for communication between people in real-time.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Scope of the Scheme.— The assessment under this Scheme shall be made in respect of such territorial area, or persons or class of persons, or incomes or class of incomes, or cases or class of cases, as may be specified by the Board.

4. E-assessment Centres.— (1) For the purposes of this Scheme, the Board may set up-

(i) a National e-assessment Centre to facilitate the conduct of e-assessment proceedings in a centralised manner, which shall be vested with the jurisdiction to make assessment in accordance with the provisions of this Scheme;

(ii) Regional e-assessment Centres as it may deem necessary to facilitate the conduct of e-assessment proceedings in the cadre controlling region of a Principal Chief Commissioner, which shall be vested with the jurisdiction to make assessment in accordance with the provisions of this Scheme;

(iii) assessment units, as it may deem necessary to facilitate the conduct of e-assessment, to perform the function of making assessment, which includes identification of points or issues material for the determination of any liability (including refund) under the Act, seeking information or clarification on points or issues so identified, analysis of the material furnished by the assessee or any other person, and such other functions as may be required for the purposes of making assessment;

(iv) verification units, as it may deem necessary to facilitate the conduct of e-assessment, to perform the function of verification, which includes enquiry, cross verification, examination of books of accounts, examination of witnesses and recording of statements, and such other functions as may be required for the purposes of verification.

(v) technical units, as it may deem necessary to facilitate the conduct of e-assessment, to perform the function of providing technical assistance which includes any assistance or advice on legal, accounting, forensic, information technology, valuation, transfer pricing, data analytics, management or any other technical matter which may be required in a particular case or a class of cases, under this Scheme; and

(vi) review units, as it may deem necessary to facilitate the conduct of e-assessment, to perform the function of review of the draft assessment order, which includes checking whether the relevant and material evidence has been brought on record, whether the relevant points of fact and law have been duly incorporated in the draft order, whether the issues on which addition or disallowance should be made have been discussed in the draft order, whether the applicable judicial decisions have been considered and dealt with in the draft order, checking for arithmetical correctness of modifications proposed, if any, and such other functions as may be required for the purposes of review,

and specify their respective jurisdiction.

(2) All communication among the assessment unit, review unit, verification unit or technical unit or with the assessee or any other person with respect to the information or documents or evidence or any other details, as may be necessary for the purposes of making an assessment under this Scheme shall be through the National e-assessment Centre.

(3) The units referred to in sub-paragraphs (iii), (iv), (v) and (vi) of paragraph (1) shall have the following authorities, namely:—

(a) Additional Commissioner or Additional Director or Joint Commissioner or Joint Director, as the case may be;

(b) Deputy Commissioner or Deputy Director or Assistant Commissioner or Assistant Director, or Income-tax Officer, as the case may be;

(c) such other income-tax authority, ministerial staff, executive or consultant, as considered necessary by the Board.

5. Procedure for assessment.—(1) The assessment under this Scheme shall be made as per the following procedure, namely:—

- (i) the National e-Assessment Centre shall serve a notice on the assessee under sub-section (2) of section 143, specifying the issues for selection of his case for assessment;
- (ii) the assessee may, within fifteen days from the date of receipt of notice referred to in sub-clause (i), file his response to the National e-assessment Centre ;
- (iii) the National e-assessment Centre shall assign the case selected for the purposes of e-assessment under this Scheme to a specific assessment unit in any one Regional e-assessment Centre through an automated allocation system;
- (iv) where a case is assigned to the assessment unit, it may make a request to the National e-assessment Centre for —
 - (a) obtaining such further information, documents or evidence from the assessee or any other person, as it may specify;
 - (b) conducting of certain enquiry or verification by verification unit; and
 - (c) seeking technical assistance from the technical unit;
- (v) where a request for obtaining further information, documents or evidence from the assessee or any other person has been made by the assessment unit, the National e-assessment Centre shall issue appropriate notice or requisition to the assessee or any other person for obtaining the information, documents or evidence requisitioned by the assessment unit;
- (vi) where a request for conducting of certain enquiry or verification by the verification unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-assessment Centre to a verification unit through an automated allocation system;
- (vii) where a request for seeking technical assistance from the technical unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-assessment Centre to a technical unit in any one Regional e-assessment Centres through an automated allocation system;
- (viii) the assessment unit shall, after taking into account all the relevant material available on the record, make in writing, a draft assessment order either accepting the returned income of the assessee or modifying the returned income of the assessee, as the case may be, and send a copy of such order to the National e-assessment Centre;
- (ix) the assessment unit shall, while making draft assessment order, provide details of the penalty proceedings to be initiated therein, if any;
- (x) the National e-assessment Centre shall examine the draft assessment order in accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of an automated examination tool, whereupon it may decide to —
 - (a) finalise the assessment as per the draft assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment; or
 - (b) provide an opportunity to the assessee, in case a modification is proposed, by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the draft assessment order; or
 - (c) assign the draft assessment order to a review unit in any one Regional e-assessment Centre, through an automated allocation system, for conducting review of such order;
- (xi) the review unit shall conduct review of the draft assessment order, referred to it by the National e-assessment Centre whereupon it may decide to—
 - (a) concur with the draft assessment order and intimate the National e-assessment Centre about such concurrence; or
 - (b) suggest such modification, as it may deem fit, to the draft assessment order and send its suggestions to the National e-assessment Centre;
- (xii) the National e-assessment Centre shall, upon receiving concurrence of the review unit, follow the procedure laid down in sub-paragraph (a) or sub-paragraph (b) of paragraph (x), as the case may be;

- (xiii) the National e-assessment Centre shall, upon receiving suggestions for modifications from the review unit, communicate the same to the Assessment unit;
- (xiv) the assessment unit shall, after considering the modifications suggested by the Review unit, send the final draft assessment order to the National e-assessment Centre;
- (xv) The National e-assessment Centre shall, upon receiving final draft assessment order, follow the procedure laid down in sub-paragraph (a) or sub-paragraph (b) of paragraph (x), as the case may be;
- (xvi) The assessee may, in a case where show-cause notice under sub-paragraph (b) of paragraph (x) has been served upon him, furnish his response to the National e-assessment Centre on or before the date and time specified in the notice;
- (xvii) The National e-assessment Centre shall,-
- (a) in a case where no response to the show-cause notice is received, finalise the assessment as per the draft assessment order, as per the procedure laid down in sub-paragraph (a) of paragraph (x); or
 - (b) in any other case, send the response received from the assessee to the assessment unit;
- (xviii) The assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the assessee, make a revised draft assessment order and send it to the National e-assessment Centre;
- (xix) The National e-assessment Centre shall, upon receiving the revised draft assessment order,-
- (a) in case no modification prejudicial to the interest of the assessee is proposed with reference to the draft assessment order, finalise the assessment as per the procedure laid down in sub-paragraph (a) of paragraph (x); or
 - (b) in case a modification prejudicial to the interest of the assessee is proposed with reference to the draft assessment order, provide an opportunity to the assessee, as per the procedure laid down in sub-paragraph (b) of paragraph (x);
 - (c) the response furnished by the assessee shall be dealt with as per the procedure laid down in paragraphs (xvi), (xvii), and (xviii);
- (xx) The National e-assessment Centre shall, after completion of assessment, transfer all the electronic records of the case to the Assessing Officer having jurisdiction over such case., for –
- (a) imposition of penalty;
 - (b) collection and recovery of demand;
 - (c) rectification of mistake;
 - (d) giving effect to appellate orders;
 - (e) submission of remand report, or any other report to be furnished, or any representation to be made, or any record to be produced before the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or Courts, as the case may be;
 - (f) proposal seeking sanction for launch of prosecution and filing of complaint before the Court;
- (xxi) Notwithstanding anything contained in paragraph (xx), the National e-assessment Centre may at any stage of the assessment, if considered necessary, transfer the case to the Assessing Officer having jurisdiction over such case.

6. Penalty proceedings for non-compliance.– (1) Any unit may, in the course of assessment proceedings, for non-compliance of any notice, direction or order issued under this Scheme on the part of the assessee or any other person, send recommendation for initiation of any penalty proceedings under Chapter XXI of the Act, against such assessee or any other person, as the case may be, to the National e-assessment Centre, if it considers necessary or expedient to do so.

(2) The National e-assessment Centre shall, on receipt of such recommendation, serve a notice on the assessee or any other person, as the case may be, calling upon him to show cause as to why penalty should not be imposed on him under the relevant provisions of the Act.

(3) The response to show - cause notice furnished by the assessee or any other person, if any, shall be sent by the National e-assessment Centre to the concerned unit which has made the recommendation for penalty.

(4) The said unit shall, after taking into consideration the response furnished by the assessee or any other person, as the case may be, -

- (a) make a draft order of penalty and send a copy of such draft to National e-assessment Centre; or
- (b) drop the penalty after recording reasons, under intimation to the National e-assessment Centre.

(5) The National e-assessment Centre shall levy the penalty as per the said draft order of penalty and serve a copy of the same on the assessee or any other person, as the case may be.

7. Appellate Proceedings.— An appeal against an assessment made by the National e-assessment Centre under this Scheme shall lie before the Commissioner (Appeals) having jurisdiction over the jurisdictional Assessing Officer and any reference to the Commissioner (Appeals) in any communication from the National e-assessment Centre shall mean such jurisdictional Commissioner (Appeals).

8. Exchange of communication exclusively by electronic mode.— For the purposes of this Scheme,-

- (a) all communications between the National e-assessment Centre and the assessee, or his authorised representative, shall be exchanged exclusively by electronic mode; and
- (b) all internal communications between the National e-assessment Centre, Regional e-assessment Centres and various units shall be exchanged exclusively by electronic mode.

9. Authentication of electronic record.— For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by the originator by affixing his digital signature in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 3 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000):

Provided that in case of the originator, being the assessee or any other person, such authentication may also be done by electronic signature or electronic authentication technique in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 3A of the said Act:

10. Delivery of electronic record.—(1) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being the assessee, by way of-

- (a) placing an authenticated copy thereof in the assessee's registered account; or
- (b) sending an authenticated copy thereof to the registered email address of the assessee or his authorised representative; or
- (c) uploading an authenticated copy on the assessee's Mobile App; and

followed by a real time alert.

(2) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being any other person, by sending an authenticated copy thereof to the registered email address of such person, followed by a real time alert.

(3) The Assessee shall file his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, through his registered account, and once an acknowledgement is sent by the National e-assessment Centre containing the hash result generated upon successful submission of response, the response shall be deemed to be authenticated.

(4) The time and place of dispatch and receipt of electronic record shall be determined in accordance with the provisions of section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

11. No personal appearance in the Centres or Units.—(1) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under this Scheme before the income-tax authority at the National e-assessment Centre or Regional e-assessment Centre or any unit set up under this Scheme.

(2) In a case where a modification is proposed in the draft assessment order, and an opportunity is provided to the assessee by serving a notice calling upon him to show-cause as to why the assessment should not be completed as per the

such draft assessment order, the assessee or his authorised representative, as the case may be, shall be entitled to seek personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the income-tax authority in any unit under this Scheme, and such hearing shall be conducted exclusively through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony, in accordance with the procedure laid down by the Board.

(3) Any examination or recording of the statement of the assessee or any other person (other than statement recorded in the course of survey under section 133A of the Act) shall be conducted by an income-tax authority in any unit under this Scheme, exclusively through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony in accordance with the procedure laid down by the Board.

(4) The Board shall establish suitable facilities for video conferencing including telecommunication application software which supports video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the assessee, or his authorised representative, or any other person referred to in sub-paragraph (2) or sub-paragraph (3) is not denied the benefit of this Scheme merely on the consideration that such assessee or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing at his end.

12. Power to specify format, mode, procedure and processes.—(1) The Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, in charge of the National e-assessment Centre shall lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the National e-assessment Centre, Regional e-assessment Centres and the unit set-up under this Scheme, in an automated and mechanised environment, including format, mode, procedure and processes in respect of the following, namely:—

- (i) service of the notice, order or any other communication;
- (ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication;
- (iii) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;
- (iv) provision of “e-proceeding” facility including login account facility, tracking status of assessment, display of relevant details, and facility of download;
- (v) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the assessment proceedings;
- (vi) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner;
- (vii) general administration and grievance redressal mechanism in the respective Centres and units.

[Notification No. 61/2019/F.No. 370149/154/2019-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

(आय-कर)

का.आ. 3265(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन बनाई गई ई-निर्धारण स्कीम, 2019 को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित निदेश करती है, अर्थात् :-

1) अधिनियम की धारा 2 के खंड (7क), धारा 92गक, धारा 120, धारा 124, धारा 127, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 133क, धारा 133ग, धारा 134, धारा 142, धारा 142क, धारा 143, धारा 144क, धारा 144खक, धारा 144ग और अध्याय 21 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, उक्त स्कीम के अनुसार, किए गए निर्धारण को लागू होंगे, अर्थात् :-

“क. (1) निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या विहित प्राधिकारी, निर्धारण के लिए उसके मामले के चयन के मुद्दों को विनिर्दिष्ट करते हुए, धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती पर एक सूचना तामील करेगा ;

- (ii) निर्धारिती, उपखंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की तामील की तारीख से, पंद्रह दिन के भीतर अपना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र के पास अपना उत्तर फाइल करेगा ;
- (iii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, इस स्कीम के अधीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, चयनित मामले को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को समनुदेशित करेगा ;
- (iv) जहां मामला, निर्धारण यूनिट को समनुदेशित कर दिया जाता है, वहां निर्धारण यूनिट निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अनुरोध कर सकेगा,-
- (क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करना जो यह विनिर्दिष्ट करे ;
- (ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन कराना ; और
- (ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करना ;
- (v) जहां निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने का अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, निर्धारण यूनिट द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को समुचित सूचना या अध्यपेक्षा जारी करेगा;
- (vi) जहां सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन कराने के लिए अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा सत्यापन यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा;
- (vii) जहां तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा तकनीकी यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा;
- (viii) निर्धारण यूनिट, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, लिखित में, यथास्थिति, या तो निर्धारिती की वापस की गई आय को स्वीकार करते हुए या निर्धारिती की वापस की गई आय को उपांतरित करते हुए, प्रारूप निर्धारण आदेश करेगी और ऐसे आदेश की प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को प्रेषित करेगी;
- (ix) निर्धारण यूनिट, प्रारूप निर्धारण आदेश करते समय, उसमें आरंभ की जाने वाली शास्ति कार्यवाहियों के व्यौरे, यदि कोई हों, उपलब्ध कराएगी;
- (x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंध कारबार नीति के अनुसार, प्रारूप निर्धारण आदेश की समीक्षा करेगी जिसमें स्वचालित समीक्षा साधन के माध्यम से की गई समीक्षा भी सम्मिलित है जिसके परिणामस्वरूप यह निम्नलिखित का विनिश्चय कर सकेगी,-
- (क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देना और निर्धारिती को, ऐसे निर्धारण के आधार पर, निर्धारिती को संदेय राशि या उसको शोधय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, निर्धारिती को मांग सूचना के साथ, शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति तामील करना ; या
- (ख) निर्धारिती को अवसर प्रदान करना, यदि उपांतरण उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि निर्धारण, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए, सूचना तामील करके प्रस्तावित किया जाता है ; या

- (ग) ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए, स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में पुनर्विलोकन यूनिट को प्रारूप निर्धारण आदेश समनुदेशित करना ।
- (xi) पुनर्विलोकन यूनिट, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी जिसके परिणामस्वरूप वह,-
- (क) प्रारूप निर्धारण आदेश से सहमत होने और ऐसी सहमति के बारे में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को सूचित करने का विनिश्चय कर सकेगी ; या
- (ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में ऐसा उपांतरण, जो वह ठीक समझे, का सुझाव देने का और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपने सुझाव भेजने का विनिश्चय कर सकेगी ;
- (xii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट की सहमति प्राप्त हो जाने पर, पैरा (x) के, यथास्थिति, उपपैरा (क) या उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;
- (xiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट से उपांतरणों के लिए, सुझाव प्राप्त हो जाने पर, उन्हें निर्धारण यूनिट को संसूचित करेगा;
- (xiv) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाव दिए गए उपांतरण पर विचार करने के पश्चात्, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश भेजेगा ;
- (xv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश के प्राप्त हो जाने पर, पैरा (x) के, यथास्थिति, उपपैरा (क) या उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;
- (xvi) उस दशा में, जहां पैरा (x) के उपपैरा (ख) के अधीन कारण बताओ सूचना, उस पर तामील कर दी गई है, वहां निर्धारिती, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को और समय पर या उससे पहले राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा ;
- (xvii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,-
- (क) उस दशा में, जहां कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, वहां पैरा (x) के उपपैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देगा ; या
- (ख) किसी अन्य मामले में, निर्धारिती से प्राप्त उत्तर को निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;
- (xviii) निर्धारण यूनिट, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगा और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा ;
- (xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के प्राप्त हो जाने पर,-
- (क) यदि निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई उपांतरण, प्रारूप निर्धारण आदेश के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं किया जाता है तो पैरा (x) के उपपैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देगा ; या
- (ख) यदि निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई उपांतरण, प्रारूप निर्धारण आदेश के संदर्भ में प्रस्तावित किया जाता है तो पैरा (x) के उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, निर्धारिती को अवसर प्रदान करेगा ; या

- (ग) निर्धारित द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर, पैरा (xvi), पैरा (xvii) और पैरा (xviii) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ;
- (xx) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, निर्धारण के पूरे हो जाने के पश्चात्, मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को,-
- (क) शास्ति का अधिरोपण ;
- (ख) मांग का संग्रहण और वसूली ; या
- (ग) भूल सुधार ;
- (घ) अपीली आदेशों को प्रभावी करना ; या
- (ङ) यथास्थिति, आयुक्त (अपील) अधिकरण या न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिमांड रिपोर्ट या कोई अन्य रिपोर्ट या किए जाने वाले किसी अभ्यावेदन या उसके समक्ष पेश किए जाने वाले किसी अभिलेख का प्रस्तुतीकरण ;
- (च) न्यायालय के समक्ष अभियोजन के आरंभ होने के लिए और उसके समक्ष परिवाद फाइल करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाला प्रस्ताव ;

के लिए ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को अंतरित करेगा ।

(xxi) पैरा (xx) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र निर्धारण के किसी भी प्रक्रम पर, यदि आवश्यक समझा जाए, ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को अंतरित कर सकेगा ;

(ख)

- (1) किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में या स्कीम के अधीन सृजित किसी यूनिट में स्कीम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के संबंध में आयकर प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत होना अपेक्षित नहीं होगा।
- (2) उस मामले में जहां प्रारूप निर्धारण आदेश में उपांतरण प्रस्तावित है, और निर्धारिती को तामील करके एक अवसर प्रदान किया जाता है कि वह कारण दर्शित करे कि ऐसे प्रारूप आदेश के अनुसार निर्धारण क्यों पूर्ण नहीं किया जाना चाहिए, यथास्थिति, निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत सुनवाई का हक होगा जिससे वह स्कीम के अधीन किसी यूनिट में आयकर प्राधिकारी के समक्ष मौखिक प्रस्तुतिकरण या अपना मामला प्रस्तुत कर सके, और ऐसी सुनवाई विशिष्ट रूप से विडियों कानफ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी दूर संचार एपलिकेशन्स साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करता है।
- (3) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के कथन की परीक्षा या अभिलेख (अधिनियम की धारा 133क के अधीन पाठ्य सर्वेक्षण अभिलिखित कथन से भिन्न) स्कीम के अधीन किसी यूनिट में आयकर प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से विडियों कानफ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी दूर संचार एपलिकेशन्स साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करता है।
- (4) बोर्ड, विडियो कानफ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत दूर संचार एपलिकेशन साफ्टवेयर भी है जो ऐसे स्थानों पर हों, जहां आवश्यक हो और विडियो टेलीफोनी अनुकूल हों, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या उपपैरा (2) या उपपैरा (3) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को स्कीम के फायदे से मात्र इस कारण से वंचित न किया जाए कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच विडियो कानफ्रेंसिंग तक नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 246क के उपबंध, निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए स्कीम के अनुसार निर्धारण से उद्भूत अपील योग्य आदेशों को लागू होंगे, अर्थात्:--

"इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त (अपील) के समक्ष की जाएगी और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से किसी संसूचना में आयुक्त (अपील) के प्रति कोई निर्देश का अर्थ ऐसी अधिकारिता वाला आयुक्त (अपील) होगा।

3. अधिनियम की धारा 140, धारा 142 और धारा 282क के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए स्कीम के अनुसार किए गए निर्धारणों को लागू होंगे, अर्थात्:--

"प्रणेत्या द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3क की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख डिजीटल हस्ताक्षर करके अधिप्रमाणित किया जाएगा:

परंतु प्रवर्तक के मामले में निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा अधिप्रमाणन उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख डिजीटल हस्ताक्षर करके या इलैक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।"

4. अधिनियम के अध्याय 21 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए स्कीम के अनुसार अधिरोपणीय शास्तियों को लागू होंगे, अर्थात्:--

"(1) अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन किन्हीं शास्ति कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए कोई यूनिट राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इस स्कीम के अधीन जारी किए गए किसी नोटिस, निर्देश या आदेश के अननुपालन के लिए निर्धारण कार्यवाहियों के अनुक्रम में, यथास्थिति, ऐसे निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को सिफारिशें भेज सकेगी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे।

(2) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र ऐसी सिफारिश की प्राप्ति पर यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को सूचना तामील करते हुए कारण बताओ जारी करेगी कि उस पर अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन शास्ति क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए।

(3) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का उत्तर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा विशिष्ट यूनिट को भेजा जाएगा जिसने शास्ति के लिए सिफारिश की है।

(4) उक्त यूनिट, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर, को ध्यान में रखते हुए-

क. शास्ति के आदेश का प्रारूप तैयार करेगी और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को ऐसे प्रस्तावित प्रारूप की एक प्रति भेजेगी; या

ख. राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को सूचना के अधीन कारण अभिलेखबद्ध करने के पश्चात् शास्ति हटा देगी।

(5) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार शास्ति का उद्ग्रहण करेगी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को शास्ति आदेश की एक प्रति तामील करेगी।

5. अधिनियम की धारा 282, धारा 283 और धारा 284 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए स्कीम के अनुसार किए गए निर्धारण को लागू होंगे, अर्थात्:--

"अ. (1) इस स्कीम के अधीन नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक संसूचना निर्धारिती के पते पर रियल टाइम अलर्ट को अनुसरित करते हुए निम्नानुसार परिदत्त किया जाएगा—

(क) निर्धारिती के रजिस्ट्रिकृत खाते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति रखना; या

(ख) निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति रखना; या

(ग) निर्धारिती के मोबाइल एप में अधिप्रमाणित प्रति अपलोड करना।

(2) नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक संसूचना स्कीम के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर रियल टाइम अलर्ट को अनुसरित करते हुए ऐसे व्यक्ति को उसकी अधिप्रमाणित प्रति परिदत्त की जाएगी।

(3) निर्धारिती स्कीम के अधीन नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक संसूचना का उत्तर केवल अपने रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से ही फाइल करेगा और उत्तर को उत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर जनित हैश परिणाम अंतर्विष्ट करते हुए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा एक बार अभिस्वीकृति भेजे जाने पर अधिप्रमाणित समझा जाएगा।

(4) इलैक्ट्रानिक अभिलेख को प्रेषित करने का समय और स्थान तथा अभिप्राप्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

आ. राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक स्कीम के अधीन गठित राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, आरईएसी और विभिन्न यूनितों को आटोमेटिड और मैकेनाइज्ड वातावरण में, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में फॉर्मेट, मोड, प्रक्रिया और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करना भी है, प्रभावी कार्यकरण के लिए समय-समय पर मानक, प्रक्रियाएं और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करेगा:--

- (i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील;
- (ii) नोटिस या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से कोई सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति;
- (iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;
- (iv) "ई प्रोसीडिंग" सुविधा के उपबंध जिसके अंतर्गत लॉगइन अकाउंट सुविधा, निर्धारण की स्थिति पता लगाना, सुसंगत ब्यौरों को दर्शित करना और डाउनलोड की सुविधा भी है;
- (v) सूचना और उत्तर का मूल्यांकन, अधिप्रमाणन और सत्यापन जिसके अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज भी हैं;
- (vi) केन्द्रीयकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुनःप्राप्ति;
- (vii) केन्द्र में साधारण प्रशासन और प्रतितोष निवारण क्रियाविधि।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 62/2019/फा.सं. 370149/154/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2019

(INCOME-TAX)

S.O. 3265(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3B) of section 143 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), for the purposes of giving effect to the E-assessment Scheme, 2019 made under sub-section (3A) of section 143 of the Act, the Central Government hereby makes the following directions, namely:—

1. The provisions of clause (7A) of section 2, section 92CA, section 120, section 124, section 127, section 129, section 131, section 133, section 133A, section 133C, section 134, section 142, section 142A, section 143,

section 144A, section 144BA section 144C and Chapter XXI of the Act shall apply to the assessment made in accordance with the said Scheme subject to the following exceptions, modifications and adaptations, namely: -

“A. (1) The assessment shall be made as per the following procedure, namely:—

- (i) the National e-assessment Centre shall serve a notice on the assessee under sub-section (2) of section 143, specifying the issues for selection of his case for assessment;
- (ii) the assessee may, within fifteen days from the date of receipt of notice referred to in sub-clause (i), file his response to the National e-assessment Centre;
- (iii) the National e-assessment Centre shall assign the case selected for the purposes of assessment under this Scheme to a specific assessment unit in any one Regional e-assessment Centre through an automated allocation system;
- (iv) where a case is assigned to the assessment unit, it may make a request to the National e-assessment Centre for—
 - a. obtaining such further information, documents or evidence from the assessee or any other person, as it may specify;
 - b. conducting of certain enquiry or verification by verification unit; and
 - c. seeking technical assistance from the technical unit;
- (v) where a request for obtaining further information, documents or evidence from the assessee or any other person has been made by the assessment unit, the National e-assessment Centre shall issue appropriate notice or requisition to the assessee or any other person for obtaining the information, documents or evidence requisitioned by the assessment unit;
- (vi) where a request for conducting of certain enquiry or verification by the verification unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-assessment Centre to a verification unit through an automated allocation system;
- (vii) where a request for seeking technical assistance from the technical unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-assessment Centre to a technical unit in any one Regional e-assessment Centre through an automated allocation system;
- (viii) the assessment unit shall, after taking into account all the relevant material available on the record, make in writing, a draft assessment order either accepting the returned income of the assessee or modifying the returned income of the assessee, as the case may be, and send a copy of such order to the National e-assessment Centre;
- (ix) the Assessment unit shall, while making draft assessment order, provide details of the penalty proceedings to be initiated therein, if any;
- (x) the National e-assessment Centre shall examine the draft assessment order in accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of an automated examination tool, whereupon it may decide to –
 - a. finalise the assessment as per the draft assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment; or
 - b. provide an opportunity to the assessee, in case a modification is proposed, by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the draft assessment order; or
 - c. assign the draft assessment order to a review unit in any one Regional e-assessment Centre, through an automated allocation system, for conducting review of such order;
- (xi) the review unit shall conduct review of the draft assessment order, referred to it by the National e-assessment Centre whereupon it may decide to—

- a. concur with the draft assessment order and intimate the National e-assessment Centre about such concurrence; or
 - b. suggest such modification, as it may deem fit, to the draft assessment order and send its suggestions to the National e-assessment Centre;
- (xii) the National e-assessment Centre shall, upon receiving concurrence of the review unit, follow the procedure laid down in sub-paragraph (a) or sub-paragraph (b) of paragraph (x), as the case may be;
- (xiii) the National e-assessment Centre shall, upon receiving suggestions for modifications from the Review unit, communicate the same to the Assessment unit;
- (xiv) the assessment unit shall, after considering the modifications suggested by the Review unit, send the final draft assessment order to the National e-assessment Centre;
- (xv) The National e-assessment Centre shall, upon receiving final draft assessment order, follow the procedure laid down in sub-paragraph (a) or sub-paragraph (b) of paragraph (x), as the case may be;
- (xvi) The assessee may, in a case where show-cause notice under sub-paragraph (b) of paragraph (x) has been served upon him, furnish his response to the National e-assessment Centre on or before the date and time specified in the notice;
- (xvii) The National e-assessment Centre shall, -
- a. in a case where no response to the show-cause notice is received, finalise the assessment as per the draft assessment order, as per the procedure laid down in sub-paragraph (a) of paragraph (x); or
 - b. in any other case, send the response received from the assessee to the assessment unit;
- (xviii) The assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the assessee, make a revised draft assessment order and send it to the National e-assessment Centre;
- (xix) The National e-assessment Centre shall, upon receiving the revised draft assessment order, -
- a. in case no modification prejudicial to the interest of the assessee is proposed with reference to the draft assessment order, finalise the assessment as per the procedure laid down in sub-paragraph (a) of paragraph (x); or
 - b. in case a modification prejudicial to the interest of the assessee is proposed with reference to the draft assessment order, provide an opportunity to the assessee, as per the procedure laid down in sub-paragraph (b) of paragraph (x);
 - c. the response furnished by the assessee shall be dealt with as per the procedure laid down in paragraphs (xvi), (xvii) and (xviii);
- (xx) The National e-assessment Centre shall, after completion of assessment, transfer all the electronic records of the case to the Assessing Officer having jurisdiction over such case., for –
- (a) imposition of penalty;
 - (b) collection and recovery of demand;
 - (c) rectification of mistake;
 - (d) giving effect to appellate orders;
 - (e) submission of remand report, or any other report to be furnished, or any representation to be made, or any record to be produced before the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or Courts, as the case may be;
 - (f) proposal seeking sanction for launch of prosecution and filing of complaint before the Court;
- (xxi) Notwithstanding anything contained in paragraph (xx), the National e-assessment Centre may at any stage of the assessment, if considered necessary, transfer the case to the Assessing Officer having jurisdiction over such case.

B. (1) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under this Scheme before the income-tax authority at the National e-assessment Centre or Regional e-assessment Centre or in any unit set-up under this Scheme.

(2) In a case where a modification is proposed in the draft assessment order, and an opportunity is provided to the assessee by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the such draft assessment order, the assessee or his authorised representative, as the case may be, shall be entitled to seek personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the income-tax authority in any unit under this Scheme, and such hearing shall be conducted exclusively through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony, in accordance with the procedure laid down by the Board.

(3) Any examination or recording of the statement of the assessee or any other person (other than statement recorded in the course of survey under section 133A of the Act) shall be conducted by an income-tax authority in any unit under this Scheme, exclusively through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony in accordance with the procedure laid down by the Board.

(4) The Board shall establish suitable facilities for video conferencing including telecommunication application software which supports video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the assessee, or his authorised representative, or any other person referred to in sub-paragraph (2) or sub-paragraph (3) is not denied the benefit of this Scheme merely on the consideration that such assessee or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing at his end.”.

2. The provisions of section 246A of the Act shall apply to appealable orders arising out of assessments made in accordance with the Scheme subject to the following, exceptions, modifications and adaptations, namely: -

“An appeal against an assessment made by the National e-assessment Centre under the Scheme shall lie before the Commissioner (Appeals) having jurisdiction over the jurisdictional Assessing Officer and any reference to the Commissioner (Appeals) in any communication from the National e-assessment Centre shall mean such jurisdictional Commissioner (Appeals).”.

3. The provisions of section 140, section 142 and section 282A of the Act shall apply to assessments made in accordance with the Scheme subject to the following, exceptions, modifications and adaptations, namely: -

“an electronic record shall be authenticated by the originator by affixing his digital signature in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 3 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000):

Provided that in case of the originator, being the assessee or any other person, such authentication may also be done by electronic signature or electronic authentication technique in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 3A of the said Act.”.

4. The provisions of Chapter XXI of the Act shall apply to penalties imposable in accordance with the Scheme subject to the following, exceptions, modifications and adaptations, namely: -

“(1) Any unit may, in the course of assessment proceedings, for non-compliance of any notice, direction or order issued under this Scheme on the part of the assessee or any other person, send recommendation for initiation of any penalty proceedings under Chapter XXI of the Act, against such assessee or any other person, as the case may be, to the National e-assessment Centre, if it considers necessary or expedient to do so.

(2) The National e-assessment Centre shall, on receipt of such recommendation, serve a notice on the assessee or any other person, as the case may be, calling upon him to show cause as to why penalty should not be imposed on him under the relevant provisions of the Act.

(3) The response to show - cause notice furnished by the assessee or any other person, if any, shall be sent by the National e-assessment Centre to the concerned unit which has made the recommendation for penalty.

(4) The said unit shall, after taking into consideration the response furnished by the assessee or any other person, as the case may be, -

- a. make a draft order of penalty and send a copy of such draft to National e-assessment Centre; or
- b. drop the penalty after recording reasons, under intimation to the National e-assessment Centre.

(5) The National e-assessment Centre shall levy the penalty as per the said draft order of penalty and serve a copy of the same on the assessee or any other person, as the case may be.”.

5. The provisions of section 282, section 283 and section 284 of the Act shall apply to assessment made in accordance with the Scheme subject to the following, exceptions, modifications and adaptations, namely: -

“A (1) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being the assessee, by way of-

- (a) placing an authenticated copy thereof in the assessee's registered account; or
- (b) sending an authenticated copy thereof to the registered email address of the assessee or his authorised representative; or
- (c) uploading an authenticated copy on the assessee's Mobile App; and

followed by a real time alert.

(2) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being any other person, by sending an authenticated copy thereof to the registered email address of such person, followed by a real time alert.

(3) The Assessee shall file his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, through his registered account, and once an acknowledgement is sent by the National e-assessment Centre containing the hash result generated upon successful submission of response, the response shall be deemed to be authenticated.

(4) The time and place of dispatch and receipt of electronic record shall be determined in accordance with the provisions of section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

B. The Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, in charge of the National e-assessment Centre shall lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the National e-assessment Centre, Regional e-assessment Centre and the units set-up under this Scheme, in an automated and mechanised environment, including format, mode, procedure and processes in respect of the following, namely: —

- (i) service of the notice, order or any other communication;
- (ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication;
- (iii) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;
- (iv) provision of “e-proceeding” facility including login account facility, tracking status of assessment, display of relevant details, and facility of download;
- (v) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the assessment proceedings;
- (vi) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner;
- (vii) general administration and grievance redressal mechanism in the respective Centres and units.”.

6. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 62/2019/F.No. 370149/154/2019-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.